निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण 1933 (श0)

(सं0 पटना 401) पटना, वृहस्पतिवार, 4 अगस्त 2011

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

अधिसूचना

29 जुलाई 2011

सं0 वि.प.वि. 26/2011-1935 (3) वि.प. –1936 (3)—बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 273(4) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली में किए गए निम्नलिखित संशोधन सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं : —

संशोधन

(1) नियमावली के नियम 85 के पश्चात् नियम "85 क." निम्नवत् स्थापित हो; "85 क. प्रश्नों के उत्तर के लिए आवंटित तिथि से तीन दिन पूर्व संबंधित विभाग से प्रश्नों का लिखित उत्तर परिषद् सचिवालय को प्राप्त हो जाना चाहिए ताकि समयावधि के अंदर उसे सदस्यों को प्राप्त कराया जा सके ।"

(2) नियमावली के नियम 86 की द्वितीय पंक्ति में अंक **"10"** के स्थान पर अंक **"15"** प्रतिस्थापित हो।

(3) नियमावली के नियम 86 के पश्चात् एवं इसके प्रथम परंतुक के पूर्व निम्न परंतुक स्थापित हो:- **"**परंतु सदन के आहूत होने की अल्पसूचना पर सभापति इस समयावधि में परिवर्तन कर सकते हैं **;"**

(4) नियमावली के नियम 86 के प्रथम परन्तुक की द्वितीय पंक्ति में शब्द ''मौखिक'' के स्थान पर शब्द ''लिखित'' प्रतिस्थापित हो।

(5) नियमावली के नियम 95(4) की प्रथम पंक्ति में शब्द **"**मौखिक**"** के स्थान पर शब्द **"**लिखित**"** प्रतिस्थापित हो ।

(6) नियमावली के नियम 95(4) की चतुर्थ एवं पंचम् पंक्ति के शब्दों **"**ऐसे प्रश्न के संबंध में मौखिक उत्तर की आवश्यकता नहीं होगी और न उसके संबंध में कोई पूरक प्रश्न ही पूछा जाएगा**"** के स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित हो- **"**उसके संबंध में कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा **; "**

(7) नियमावली के नियम 95(4) के परंतुक की प्रथम पंक्ति में शब्द **"**मौखिक**"** के स्थान पर शब्द **"**लिखित**"** प्रतिस्थापित हो ।

(8) नियमावली के नियम 95(4) के परंतुक के पश्चात् द्वितीय परंतुक निम्नवत् स्थापित हो **"**परंतु किसी विशेष परिस्थिति में सभापति सरकार के मंतव्य से संतुष्ट होने पर यह आदेश दे सकेंगे कि किसी प्रश्न का मौखिक उत्तर सरकार दे ।**"**

(9) नियमावली के नियम 96 क. की द्वितीय पंक्ति में शब्द **"**मौखिक**"** विलोपित हो ।

(10) नियमावली के नियम 96 क. की पांचवीं पंक्ति में शब्द **"**मौखिक**"** विलोपित हो ।

(11) नियमावली के नियम 101(5) के पश्चात् सभापति द्वारा बनाए गए अनुदेश (11) की द्वितीय पंक्ति में शब्द **"**मौखिक या**"** विलोपित हों।

(12) नियमावली के नियम 101(5) के पश्चात् सभापति द्वारा बनाए गए अनुदेश (18) की प्रथम पंक्ति में शब्दों **"**काफी पहले**"** के स्थान पर शब्द **"**प्रश्नों के उत्तर के लिए आवंटित तिथि से तीन दिन पूर्व**"** प्रतिस्थापित हों।

(13) नियमावली के नियम 101(5) के पश्चात् सभापति द्वारा बनाए गए अनुदेश (18) की द्वितीय पंक्ति में शब्द **"**उत्तर**"** के स्थान पर शब्द **"**अवसर**"** प्रतिस्थापित हो।

(14) नियमावली के नियम 101(5) के पश्चात् सभापति द्वारा बनाए गए अनुदेश (19) के स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित हो- **"**(19) प्रश्नों के उत्तर संबंधित विभाग से निर्धारित समयावधि में प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रत्येक अधिवेशन के एक दिन पूर्व सदस्यों को परिषद् सचिवालय द्वारा भेज दिए जाएंगे, जिस अधिवेशन के लिए उन्हें प्रश्नों की सूची में शामिल किया गया हो**"**

(15) नियमावली के नियम 203 की चौथी पंक्ति में शब्दों ''प्रश्न पर'' के पश्चात् और शब्दों ''चर्चा करने'' के पूर्व शब्द ''या विभागवार'' स्थापित हों।

(16) नियमावली के नियम 203 (2) की प्रथम पंक्ति में शब्दों **"**वित्त मंत्री**"** के स्थान पर शब्द **"**सरकार**"** प्रतिस्थापित हो।

(17) नियमावली की चतुर्थ अनुसूची में शीर्षक **"**बिहार विधान परिषद् संदर्भ पुस्तकालय नियमावली**"** में शब्दों **"**संदर्भ पुस्तकालय**"** के स्थान पर शब्द **"**ग्रंथागार**"** प्रतिस्थापित हो।

(18) नियमावली की चतुर्थ अनुसूची के 1. (क) की प्रथम पंक्ति में शब्दों **"**संदर्भ पुस्तकालय**"** के स्थान पर शब्द **"**ग्रंथागार**"** प्रतिस्थापित हो।

(19) नियमावली की चतुर्थ अनुसूची के 1. (ख) की द्वितीय पंक्ति में शब्द **"**ग्रंथालय**"** के स्थान पर शब्द **"**ग्रंथागार**"** प्रतिस्थापित हो।

(20) नियमावली की चतुर्थ अनुसूची के 2.**(ग)** की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंक्ति के शब्दों **"**पुस्तकालय**"** के स्थान पर शब्द **"**ग्रंथागार**"** प्रतिस्थापित हो।

(21) नियमावली की चतुर्थ अनुसूची के 3. की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंक्ति के शब्दों **"**पुस्तकालय**"** के स्थान पर शब्द **"**ग्रंथागार**"** प्रतिस्थापित हों।

(22) नियमावली की चतुर्थ अनुसूची के 4. **(ग)** की द्वितीय पंक्ति में शब्दों **"**संदर्भ पुस्तकालय**"** के स्थान पर शब्द **"**ग्रंथागार**"** प्रतिस्थापित हो।

(23) नियमावली की चतुर्थ अनुसूची के 4. **(ग)** की तृतीय, चतुर्थ एवं दशम् पंक्ति एवं 4**(घ)** की छठी पंक्ति में शब्दों **"**पुस्तकालय**"** के स्थान पर शब्द **"**ग्रंथागार**"** प्रतिस्थापित हों।

(24) नियमावली की चतुर्थ अनुसूची के 4. **(**ड.**)** की प्रथम पंक्ति में शब्द **"**पुस्तकालय**"** के स्थान पर शब्द **"**ग्रंथागार**"** प्रतिस्थापित हो।

(25) नियमावली की चतुर्थ अनुसूची के 5. **(1)** की प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति में शब्दद्वय **"**पुस्तकालय**"** के स्थान पर शब्द **"**ग्रंथागार**"** प्रतिस्थापित हों।

(26) नियमावली की चतुर्थ अनुसूची के 5. **(2)** की चतुर्थ पंक्ति में शब्द **"**पुस्तकालय**"** के स्थान पर शब्द **"**ग्रंथागार**"** प्रतिस्थापित हो।

(27) नियमावली की चतुर्थ अनुसूची के 6. की प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति में शब्दद्वय **"**पुस्तकालय**"** के स्थान पर शब्दों **"**ग्रंथागार**"** का प्रतिस्थापन हो।

(28) नियमावली की चतुर्थ अनुसूची के 7 की प्रथम पंक्ति में शब्द **"**पुस्तकालय**"** के स्थान पर शब्द **"**ग्रंथागार**"** प्रतिस्थापित हो।

(29) नियमावली की चतुर्थ अनुसूची के 8. की द्वितीय पंक्ति में शब्द **"**ग्रंथालय**"** के स्थान पर शब्द **"**ग्रंथागार**"** प्रतिस्थापित हो।

(30) नियमावली की चतुर्थ अनुसूची के 12**.** की प्रथम पंक्ति में शब्दद्वय **"**पुस्तकालय**"** के स्थान पर शब्दों **"**ग्रंथागार**"** प्रतिस्थापित हो।

(31) नियमावली के परिशिष्ट-1 में शीर्षक की प्रथम पक्ति में शब्दों **"**संदर्भ पुस्तकालय**"** के स्थान पर शब्द **"**ग्रंथागार**"** प्रतिस्थापित हो।

(32) नियमावली के परिशिष्ट-1 में शीर्षक के पश्चात् द्वितीय पंक्ति में शब्द **"**पुस्तकालय**"** के स्थान पर शब्द **"**ग्रंथागार**"** प्रतिस्थापित हो।

(33) नियमावली के नियम 283(छ) के पश्चात् 283 (छ) (1) निम्नवत् स्थापित हो :-

"आचार समिति

283 (छ)(1) 1. बिहार विधान परिषद् की एक आचार समिति होगी ।

2. इस समिति में अध्यक्ष सहित सात सदस्य होंगे ।

3. समिति की गणपूर्ति : समिति की गणपूर्ति चार सदस्यों की होगी ।

4. समिति का कार्यकाल : समिति का कार्यकाल सामान्यत: एक वर्ष या नयी समिति के गठन के पूर्व तक होगा ।

5. समिति के कृत्य :

1. (क) सदस्यों के बीच सदाचार एवं व्यवहार का पर्यवेक्षण करना ।

(ख) सदस्यों के अनपेक्षित एवं अमर्यादित व्यवहार एवं उनके संसदीय आचरण से संबंधित सौंपी गयी प्रत्येक शिकायत की जांच करना तथा आवश्यक अनुशंसाएं देना ।

(ग) सदस्यों के कथित आचरण एवं दुराचरणों से संबंधित मामलों में दंड एवं शास्ति से संबंधित विधियों से सुसंगत नियम बनाना ।

2. (क) समिति सदस्यों के आचार तथा व्यवहार से संबंधित मामलों में विशिष्ट अनुरोध पर अथवा स्वत: संज्ञान ले सकेगी और सभापति की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही जांच एवं निर्णय की प्रक्रिया अपनायेगी।

टिप्पणी- नियम-2(क) में यथाविहित 'विशिष्ट अनुरोध' से तात्पर्य है :-

(i) शिकायतकर्ता समिति अथवा समिति द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को लिखित रूप में ऐसे स्वरूप में शिकायत कर सकता है, जैसा कि परिशिष्ट-4 में विशिष्ट अनुरोध/शिकायत के प्रपत्र में यथाविहित है ।

(ii) शिकायत की भाषा परिनिष्ठित और संयमित होगी तथा मात्र तथ्यों तक ही सीमित रहेगी ।

(iii) शिकायतकर्ता को अपनी पहचान की घोषणा करनी होगी और आरोपों को सिद्ध करने के लिए सहायक दस्तावेज/ कागजात और अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे ।

(iv) यदि शिकायतकर्ता द्वारा इस प्रकार का अनुरोध किया जाता है तो समिति शिकायतकर्त्ता का नाम प्रकट नहीं करेगी ।

(v) मात्र मीडिया की रिपोर्ट पर आधारित शिकायत को प्रामाणिक आरोप नहीं माना जाएगा, और

(vi) समिति ऐसे किसी मामले पर विचार नहीं करेगी जो न्यायालय के विचाराधीन हो ।

(ख) समिति सदस्यों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन किये जाने की जांच कर सकेगी ।

(ग) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी सभापति किसी सदस्य के शील विरुद्ध, दुराचार तथा कदाचार से संबंधित प्रश्न को जांच, अन्वेषण और प्रतिवेदन देने के लिए समिति को दे सकते हैं ।

3 . सदस्यों के शील विरुद्ध आचरण और अन्य दुराचरणों की जांच के संबंध में समिति द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया उसी प्रकार होगी जैसी प्रक्रिया जांच और निर्णय हेतु परिषद् की विशेषाधिकार समिति द्वारा सदन या किसी सदस्य के विशेषाधिकार के संबंध में अपनाई जाती है।

4. आचार समिति के प्रतिवेदन के सदन में उपस्थापन के पश्चात् वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन, विचार-विमर्श तथा प्राथमिकता के संदर्भ में बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमावली के नियम – 243, 244 एवं 245 तथा तत्संबंधी उपबंधों के अधीन अपनाई जाती है ।

5. समिति सदस्यों के लिए आचार संहिता का निर्माण करेगी यथा-

(क) सदन के भीतर सदस्यों के लिए आचार संहिता

(ख) सदन में सदस्यों द्वारा करणीय और अकरणीय कृत्यों से संबंधित आचार संहिता

(ग) विधान मंडल की सह समवेत बैठकों में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदस्यों के लिए आचार संहिता ।

(घ) समिति की अध्ययन यात्रा के दौरान सदस्यों के लिए आचार संहिता

(ड.) समिति की बैठकों में सदस्यों के लिए आचार संहिता

(च) शिष्टमंडलों के साथ वार्ता के दौरान सदस्यों के लिए आचार संहिता

(छ) सदन के बाहर सदस्यों के लिए आचार संहिता

(ज) आचार संबंधी सिद्धांत

(झ) सामान्य आचार संहिता

6. आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में शिकायतों के निष्पादन के लिए समिति प्रक्रिया एवं दंड के प्रावधान का निर्माण करेगी।

7. समिति अपने कृत्यों को आंशिक या विशद् रूप से संशोधित कर सकेगी और ऐसे संशोधन को अनुमोदन के लिए सभापति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। सभापति द्वारा यथा अनुमोदित संशोधन प्रभावी माना जायेगा।

8. साक्ष्य लेने या पत्र, अभिलेख अथवा दस्तावेज मांगने की शक्ति (क) समिति अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की उपस्थिति अथवा पत्र या अभिलेख प्रस्तुत कराना आवश्यक समझे तो ऐसा करने की शक्ति उसको होगी, किन्तु जब कभी ऐसा प्रश्न उपस्थित हो कि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों का साक्ष्य या प्रलेख की प्रस्तुति समिति के प्रयोजनों के लिए आवश्यक और प्रासंगिक है तो यह विषय सभापति के पास भेजा जायेगा और उनका निर्णय अंतिम होगा।

(ख) समिति किसी साक्षी को बुला सकती है और उससे ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करा सकती है जो समिति के प्रयोजनों के लिए आवश्यक और अपेक्षित हो।

(ग) समिति स्वविवेक से यह निर्णय लेगी कि उसके सामने दिये गये मौखिक साक्ष्य और दस्तावेज गोपनीय रहेंगे अथवा नहीं।

9. समिति की बैठकें सामान्यत: गोपनीय होंगी और बंद कमरे में आयोजित की जायेंगी।

दंड

10. समिति यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किसी सदस्य द्वारा शील विरुद्ध अनैतिक आचरण अथवा कोई कदाचारपूर्ण कार्य किया गया है या संहिता/नियमों का उल्लंघन किया गया है तो समिति निम्नलिखित दंडों में से एक या एकाधिक दंड की अनुशंसा कर सकेगी :-

(क) निन्दा ;

(ख) भर्त्सना ;

(ग) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सदन से निलंबन ; और

(घ) समिति द्वारा उचित समझा गया कोई अन्य दंड।

11. सभापति समिति या सदन के सदस्यों के शील विरुद्ध कदाचार के मामलों की जांच से संबंधित प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए ऐसे निदेश दे सकते हैं, जैसा आवश्यक समझें ।

12. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी सभापति सदस्य के शील, सदाचार अथवा अन्य दुराचार, कदाचार से संबंधित प्रश्न को जांच अन्वेषण तथा प्रतिवेदन देने के लिए आचार समिति को दे सकते हैं।"

(34) नियमावली के परिशिष्ट-3 के पश्चात् परिशिष्ट-4 निम्नवत् स्थापित हो –

"परिशिष्ट-4

आचार समिति के समक्ष किए जाने वाले विशिष्ट अनुरोध/शिकायत का प्रपत्र

1. अनुरोध/शिकायतकर्ता का नाम ----------

2. पिता का नाम ----------

3. व्यवसाय ----------

4. स्थायी पता ----------
   ----

5. वर्तमान पता ----------

   ----

6. दूरभाष/मोबाईल सं. ----------

7. किन्हीं सदस्य/सदस्यों के अनपेक्षित/अमर्यादित व्यवहार या आचरण से संबंधित अनुरोध या शिकायत का ब्यौरा (ब्यौरा 150 शब्दों से अधिक न हो).....

.....

.....

.....

8. शिकायत की पुष्टि हेतु संलग्न किए गए दस्तावेज/कागजात या अन्य प्रमाण का विवरण

.....

.....

.....

.....

9. शिकायतकर्ता की पहचान से संबंधित संलग्न किए गए प्रमाण पत्र का विवरण

.....

.....

10. क्या शिकायत से संबंधित मामला किसी न्यायालय के विचाराधीन है

.....

11. मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचनाएं मेरे संज्ञान एवं जानकारी में सत्य हैं। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मेरी जानकारी में ऐसी कोई भी बात, जो सत्य है, मैंने छिपाया नहीं है ।

अनुरोध/शिकायतकर्ता का
पूर्ण हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।

स्थान : .....

दिनांक : .....

टिप्पणी:- 1.कोई भी व्यक्ति बिहार विधान परिषद् के सदस्यों के अनपेक्षित/अमर्यादित/आचार तथा व्यवहार एवं उनके संसदीय आचरण के संबंध में इस विहित प्रपत्र के द्वारा आचार समिति के समक्ष अनुरोध/शिकायत कर सकेगा ।

2. यह अनुरोध/शिकायत पत्र बिहार विधान परिषद् सचिवालय में सचिव के कक्ष में किसी भी कार्य दिवस में 9.30 पूर्वाह्न से 6.00 अपराह्न तक तथा राजकीय अवकाश के दिन सचिव के पटना स्थित आवास पर किसी भी समय इस अनुरोध/शिकायत पत्र की फोटो प्रति के साथ दिया जा सकता है । अनुरोध/शिकायतकर्ता फोटो प्रति पर सचिव से प्राप्ति अवश्य प्राप्त कर लें ।

3. (I) शिकायत की भाषा परिनिष्ठित और संयमित होगी तथा मात्र तथ्यों तक ही सीमित रहेगी ।

(II) शिकायतकर्ता को अपनी पहचान की घोषणा करनी होगी और आरोपों को सिद्ध करने के लिए आवश्यक दस्तावेज/कागजात और अन्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे ।

(III) यदि शिकायतकर्ता द्वारा इस प्रकार का अनुरोध किया जाता है, तो समिति शिकायतकर्ता का नाम प्रकट नहीं करेगी ।

(IV) मात्र मीडिया की रिपोर्ट पर आधारित शिकायत को प्रामाणिक आरोप नहीं माना जायेगा, और

(V) समिति ऐसे किसी मामले पर विचार नहीं करेगी जो न्यायालय के विचाराधीन हो ।"

बिहार विधान परिषद्र के आदेश से,
बाबूलाल अग्रवाल,
कार्यकारी सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 401-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in